आत्मनिर्भर होते गाँव
पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका

-गिरिराज सिंह

गाँवों, ज़िलों और राज्यों को अपने-अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होना होगा। उसी प्रकार पूरे देश को आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर का मुंह न देखना पड़े। इसे हासिल करने में हमारे देश की ग्राम पंचायतें प्रमुख भूमिका निभाएंगी। मज़बूत पंचायतें आत्मनिर्भर गाँव की नींव भी होती हैं।

-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

24 अप्रैल, 2020 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह स्पष्ट मत है कि आत्मनिर्भर गाँव के निर्माण से ही आत्मनिर्भर राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। वर्तमान में भारत की लगभग 68 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और हमारा लगभग 51 प्रतिशत कार्यबल कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था में संलग्न है। ऐसे में गाँवों का सशक्तीकरण ही राष्ट्र का सशक्तीकरण है। भारत सरकार ने गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो कदम पिछले एक दशक में उठाए हैं, वे ऐतिहासिक एवं दूरगामी हैं।

हमारी 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें, जो ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए ज़िम्मेदार हैं, गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए गए हर प्रयास को लागू करने के लिए एक प्रेरक शक्ति हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायती राज

लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार हैं। ई-मेल : min-mopr@gov.in

मंत्रालय विभिन्न तरीकों से आत्मनिर्भर गाँवों के निर्माण की दिशा में सार्थक योगदान दे रहा है, जैसे पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, अपने स्वयं के राजस्व स्रोत विकसित करने के लिए उनकी क्षमताओं का नए सिरे से आकलन करना, उन्हें डिजिटल अनुकूल बनाना, उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना और भविष्य के जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए तैयार करना इत्यादि। यहां पंचायती राज मंत्रालय की उन योजनाओं/कार्यों/पहलों/गतिविधियों का उल्लेख किया जा रहा है जो आत्मनिर्भर पंचायतों की बुनियाद रख रहे हैं।

केंद्रीय वित्त आयोग की निधियों से सशक्तीकरण

भारत सरकार पंचायतों के वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के लिए फंड हस्तांतरित करती है। पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के तहत अंतरित अवधि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 60,750 करोड़ रुपये एवं वित्त वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये का अनुदान 28 राज्यों को सभी त्रि-स्तरीय पंचायतों तथा परंपरागत स्थानीय निकायों और छठी अनुसूची क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया है। यह अनुदान दो भागों में हैं, अर्थात् मूल (अबद्ध) अनुदान और बद्ध अनुदान। अबद्ध अनुदान का उपयोग, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, भारत के संविधान की अनुसूची XI के तहत निहित 29 विषयों पर महसूस की गई ज़रूरतों के लिए किया जा सकता है। बद्ध अनुदान का उपयोग बुनियादी सुविधाओं, विशेष रूप से पेयजल और स्वच्छता के लिए ही किया जाना है। केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा जारी अनुदानों से गाँवों में बुनियादी सेवाओं में सुधार हुआ है। केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आवंटन 12वें वित्त आयोग (2005-10) में 54 रुपये से बढ़कर 15वें वित्त आयोग (2021-26) में 674 रुपये हो गया।

सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) की पहल

सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र 'सबका साथ सबका विकास' को आत्मसात कर हम इस दिशा में सामूहिक प्रयत्नों के साथ अग्रसर हैं। यह देखते हुए कि भारत का लगभग 68% हिस्सा ग्रामीण है, राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गाँवों के ज़मीनी स्तर यानी पंचायत स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है।

इस दिशा में, पंचायती राज मंत्रालय ने एक रोडमैप तैयार किया है, जो 17 एसडीजी को नौ विषयगत क्षेत्रों में एकीकृत करता है ताकि लक्षित साक्ष्य आधारित पंचायत विकास योजनाओं, विशेष रूप से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से, गाँवों में सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पंचायतों को मिल कर काम करने में मदद मिल सके। ये 9 थीम हैं: गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाले गाँव, स्वस्थ गाँव, बाल हितैषी गाँव, जल पर्याप्त गाँव, स्वच्छ और हरित गाँव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाले गाँव, सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव, सुशासन से युक्त गाँव और महिला हितैषी गाँव।

सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकृत करके, देश की लगभग 2.5 लाख पंचायतों ने अपने गाँवों को स्थानीय स्तर पर निर्धारित गतिविधियों से संतृप्त करने का संकल्प लिया है और पंचायती राज मंत्रालय इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी क्षमताओं को बढ़ा रहा है, और अब वे इन लक्ष्यों को तेज़ी से पूरा करने की दिशा में अग्रसर हैं। सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण करके उन्हें प्राप्त करने की यह मुहिम 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

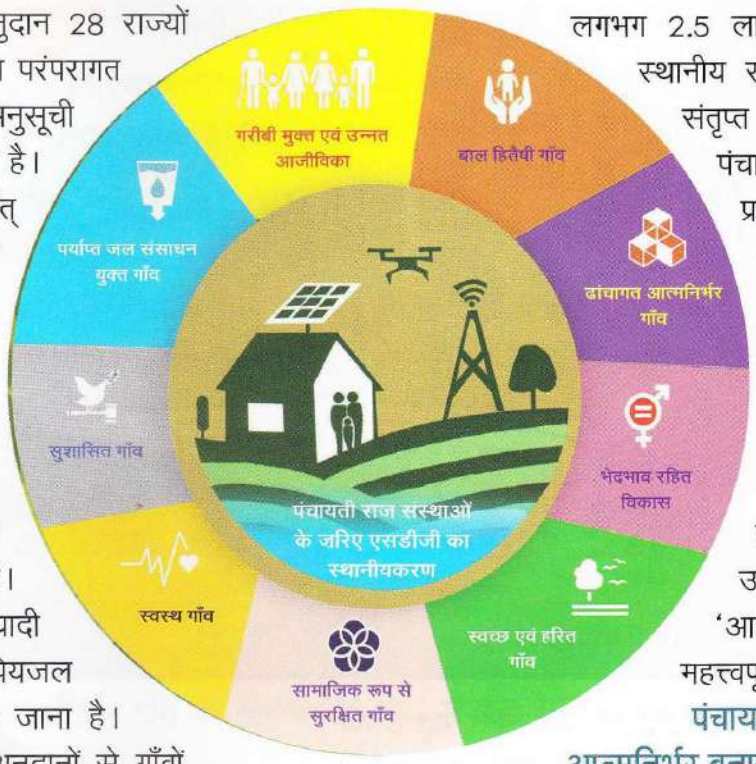

पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना

स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर)* पंचायती राज संस्थाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को मज़बूत करना महत्वपूर्ण है जिसमें संपत्ति कर, शुल्क, जुर्माना और अन्य उपकर जैसे स्थानीय स्रोतों से राजस्व सृजन बढ़ाने की पहल शामिल है। इसे बेहतर टैक्स अनुपालन, आर्थिक गतिविधियों और स्थानीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाकर हासिल किया जा सकता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग के एक अनुमान के अनुसार, 2019 की दरों के आधार पर 28 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गृह कर (हाउस टैक्स) से संभावित राजस्व लगभग 42159 करोड़ रुपये आंका गया है। हालाँकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 25 राज्यों

*OSR-Own Source Revenue

में सभी माध्यमों से एकत्र किया गया ओएसआर केवल 4953 करोड़ रुपये था। वर्तमान में, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उत्पन्न ओएसआर कुल राजस्व का औसतन केवल 6-7% है (केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग अनुदान निधियों को मिलाकर) जो 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान पंचायतों को आवंटित किया गया। इससे ज्ञात होता है कि ग्रामीण भारत में स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाने की अभी पर्याप्त क्षमता है।

चूंकि पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन की संस्था के रूप में विभिन्न गतिविधियां निष्पादित करनी होती हैं एवं गाँवों का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं को लागू करना होता है, उनके लिए स्वयं के राजस्व स्रोत होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण पंचायतों की अपनी विवशता होती है। उम्मीद है कि पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोतों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। यह धीरे-धीरे आगामी आठ वर्षों में 5000-6000 करोड़ रुपये से बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये हो सकता है और पंचायतों को अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने हेतु एवं आवश्यक गतिविधियों को करने के लिए अपेक्षित क्षमता विकसित की जा सकती है।

पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीय ग्रामीण निकायों के स्वयं के राजस्व स्रोत के सृजन पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर उसकी रिपोर्ट को जारी किया है। समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें इस दिशा में पंचायतों का मार्गदर्शन करेंगी।

पंचायतों द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

डिजिटलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी ने 'ग्लोबल विलेज' की अवधारणा को नया आकार दिया है और अब पंचायतें स्वयं को मुख्यधारा के निर्णय लेने वाले चैनलों के साथ एकीकृत करने में पीछे नहीं हैं। इसने आत्मनिर्भर पंचायतों की गाथाओं में महत्वाकांक्षी अध्याय लिखे हैं।

'ई-पंचायत' राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत पंचायती राज संस्थाओं में प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक जन-भागीदारी के साथ अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी स्वशासन विकसित करने के लिए बनाया गया एक सार्थक और दूरगामी मिशन है। इस परियोजना का उद्देश्य देशभर की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों की आंतरिक कार्य प्रक्रिया को स्वचालित करना है। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा कई ई-गवर्नेंस पहल शुरू की गई हैं।

ग्राम मानचित्र वर्ष 2019 में लांच किया गया था। इस अनुप्रयोग को विभिन्न मंत्रालयों के जैसे ज़िला अस्पतालों, उप-ज़िला अस्पतालों, सीएससी, पीएससी और उप केंद्रों (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंकिंग पत्राचार आदि जैसी बैंकिंग सुविधाओं के स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इस अनुप्रयोग को सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) रिपोर्ट, मिशन अंत्योदय एवं मिशन अंत्योदय अंतराल विश्लेषण एवं ग्राम पंचायतों को आवंटित रिसोर्स एनवलप से भी जोड़ा गया है। यह सारी जानकारी एक विंडो पर उपलब्ध है, जो कि ग्राम पंचायत उपयोगकर्ता को एकीकृत विकास तथा कस्बों और शहरों पर कम निर्भरता की दिशा में एकीकृत योजना के कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करेगी।

एक कार्य आधारित एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में ई-ग्राम स्वराज को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2020

को लॉन्च किया गया। ई-ग्राम स्वराज के लेखांकन माड्यूल का पीएफएमएस के साथ एकीकरण (ईजीएसपीआई) पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटरफेस उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया है, जैसे कि केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत किया गया व्यय आदि। ईजीएसपीआई एक तरह का इंटरफ़ेस है जो ग्राम पंचायतों को विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान करने के लिए है। अब तक 2,63,043 पंचायती राज संस्थाएं ई-जीएसपीआई से जुड़ चुकी हैं, और 2,33,433 पंचायती राज संस्थाओं ने कुल मिलाकर 1,59,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन भुगतान किया है।

पंचायतों के द्वारा की जाने वाली खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्राम स्वराज (ईजीएस) को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के साथ एकीकृत किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल, 2023 को रीवा, मध्य प्रदेश में ई-ग्राम स्वराज जैम पोर्टल को लांच किया। यह एकीकरण पंचायतों को ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए जैम (GeM) के माध्यम से अपना सामान और सेवाएं खरीदने में सक्षम बनाएगा। ईजीएस-जीईएम एकीकरण से स्थानीय उत्पादकों/सहकारी समितियों/कारीगरों/स्वयं सहायता समूहों आदि को अपने उत्पाद सीधे सरकारी संस्थाओं को बेचने की सुविधा मिलेगी, जिससे 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को बल मिलेगा। यह आर्थिक विकास के प्रयासों में न केवल 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने बल्कि सामाजिक समावेशन की दिशा में भी एक कदम है जो आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को मजबूत करेगा।

ग्राम ऊर्जा स्वराज की दिशा में पहल

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की विशाल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'ग्राम ऊर्जा स्वराज' के विज़न को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। 'ग्राम ऊर्जा स्वराज' का दृष्टिकोण नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण आबादी की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को समायोजित करने और संबोधित करने का एक प्रयास है।

शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी पंचायती राज मंत्रालय ने पहल की है। मंत्रालय केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करके पंचायतों के लिए स्थानीय जलवायु कार्ययोजना तैयार करने की सुविधा प्रदान करेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाने के प्रति ग्राम पंचायतों की उपयुक्तता और रुझान का पता लगाने के लिए 'ग्राम ऊर्जा स्वराज' डेशबोर्ड लॉन्च किया है।

ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान के तहत, कई ग्राम पंचायतों ने राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसियों के सहयोग से अपने स्वयं के कार्यान्वयन मॉडल विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की ओडनथुराई ग्राम पंचायत का अपना स्वयं का पवन ऊर्जा संयंत्र है, महाराष्ट्र की टिकेकरवाड़ी ग्राम पंचायत ने पीपीपी मोड पर बायोगैस प्लांट स्थापित किया है और केरल की पलक्कड़ जिला पंचायत का मीनवलम प्रोजेक्ट सूक्ष्म पनबिजली उत्पादन के लिए देशभर में पंचायत के द्वारा अपनी तरह का पहला उपक्रम है। कई पंचायतों ने सोलर रूफ टॉप मॉडल, सोलर रसोई, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग और पंचायतों के

तमिलनाडु की ओडनथुराई ग्राम पंचायत का 350 किलोवाट का पवन ऊर्जा संयंत्र इस समय हर वर्ष करीब 675000 यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहा है।

स्वामित्व वाली सोलर हाई-मास्ट लाइट जैसे सौर ऊर्जा मॉडल अपनाए हैं। सतत ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के ये मॉडल पंचायतों को न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे बल्कि अधिशेष ऊर्जा उत्पादन से राजस्व अर्जित करेंगे और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे।

संपत्ति का अधिकार प्रदान करने वाली 'स्वामित्व' योजना-संपत्ति के मुद्रीकरण की राह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2020 को 'स्वामित्व' योजना का शुभारंभ कर ग्रामीण भारत में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का एक नया आयाम स्थापित किया। 'स्वामित्व' योजना का उद्देश्य, बसे हुए ग्रामीण इलाकों में जिनके पास अपने घर हैं, ऐसे ग्रामीण घर के मालिकों को 'अधिकार का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है, जो राज्य राजस्व या पंचायती राज अधिनियमों द्वारा समर्थित हैं। इससे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा भी मिलेगी। संपत्ति कार्ड के आधार पर बैंक से ऋण लेकर देश के कई ग्रामीण युवाओं ने अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ किया है। इसके साथ ही, ग्रामीण संपत्ति का मूल्य भी बढ़ रहा है जिससे आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

'स्वामित्व' योजना के तहत ड्रोन सर्वे एवं क्रास-ओरिजिनल संसाधन साझाकरण (सीओआरएस) तकनीक से निर्मित उच्च रिज़ॉल्यूशन मानचित्र (5 सेमी. सटीकता) पंचायतों के लिए अत्यधिक मूल्यवान हैं जिनका उपयोग संपत्ति रजिस्टरों को अद्यतन करने और संपत्तियों की सटीक तथा अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जिससे पंचायतों को संपत्ति कर क्षमता का आकलन करने का तेज़ और सटीक तरीका मिलेगा। संपत्ति कर संग्रहण पंचायतों के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत का सबसे बेहतर माध्यम है जिससे पंचायतें आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

'स्वामित्व' योजना ने गाँवों के सुनियोजित विकास के रास्ते भी खोले हैं। 'स्वामित्व' योजना के नक्शों का उपयोग पंचायतें अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बनाने में कर रही हैं। अब तक देश के एक लाख से अधिक गाँवों में 1.61 करोड़ संपत्ति कार्ड बन चुके हैं एवं 2.87 लाख गाँवों में ड्रोन उड़ान का कार्य पूर्ण हो चुका है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने, 2047 में हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक, अमृतकाल के दौरान भारत को एक 'विकसित राष्ट्र' बनाने का आह्वान किया है। विकसित भारत बनने का यह महान लक्ष्य गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की अपेक्षा करता है जिसके लिए पंचायतों का योगदान सराहनीय है। ❑